

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुनील कुमार-I, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 120/2025 GCMS 2025/231

वादी :-

1. नारायणराम पुत्र गीगाराम
2. मंगीलाल दत्तक पुत्र जालूराम  
समस्त जाति जाट निवासीयान जसराना तहसील कुचामन सिटी

प्रतिवादीगण:-

1. तीजू देवी पत्नी नानूराम
2. संजू देवी पुत्री नानूराम
3. मंजू देवी पुत्री नानूराम
4. दानाराम पुत्र गीगाराम  
प्रतिवादी सं. 1 ता 4 जाति जाट निवासियान जसराना तहसील कुचामन सिटी
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा इस्तकरार हक भूविभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अंतर्गत धारा 53, 88, 188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :- श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

श्री श्यामसुंदर चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

-:निर्णय :-

दिनांक:- 10/06/2025

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ग्राम जसराना पटवार हल्का रूपपुरा-टोरडा तहसील कुचामन सिटी सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 711/616 कुल रकबा 0.04 है. व खसरा नंबर 609 रकबा 0.63 है. खसरा नंबर 614 रकबा 0.02 है. कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.65 है. खसरा नंबर 613 रकबा 0.30 है. खसरा नंबर 615 रकबा 0.03 है. खसरा नंबर 725/616 रकबा 0.45 है. कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.78 है. व खसरा नंबर 461 रकबा 0.63 है. खसरा नंबर 533 रकबा 2.24 है. ख.नं. 617 रकबा 0.23 है. ख.नं. 619 रकबा 0.02 है. ख.नं. 620 रकबा 1.74 है. कुल खसरा 5 कुल रकबा 4.86 है. भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरान की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे हैं तथा उसी अनुसार उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर की भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी से नीचे वर्णित सारणी के अनुसार भू-विभाजन कर रखा है :-



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( डीडवाना-कुचामन )

क्र.सं.	खाता सं.	खसरा नं.	रकबा है.	में से रकबा	कब्जा खातेदार
1.	261	711/616	0.04	0.04	संपूर्ण प्रतिवादी सं. 1 ता 3
2.	76	609, 614	0.65	0.65	संपूर्ण प्रतिवादी सं. 1 ता 3
3.	260	613, 615	0.33	0.33	संपूर्ण प्रतिवादी सं. 1 ता 3
		725/616	0.45	0.147469	संपूर्ण प्रतिवादी सं. 1 ता 3
				0.302531	संपूर्ण वादी सं. 2
4.	75	461	0.63	0.63	संपूर्ण वादी सं. 2
		619	0.02	0.02	संपूर्ण वादी सं. 2
		533	2.24	0.323749	प्रतिवादी सं. 4
			0.323749		संपूर्ण प्रतिवादी सं. 1 ता 3
			1.592502		वादी सं. 1
		620	1.74	0.44673	वादी सं. 1
			0.4312		प्रतिवादी सं. 4
			0.86207		वादी सं. 2
617	0.23	0.23	शामलाती समस्त खातेदार		

वाद पत्र के पेरा सं. 3 में वर्णित सारणी के अनुसार हम वादीगण व प्रतिवादीगण ने भू विभाजन कर रखा है वर्णित सारणी के अनुसार ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं खसरा नंबर 725/616 रकबा 0.45 है. में से रकबा भूमि 0.302531 है. उत्तरी तरफ वादी सं. 2 तथा रकबा भूमि 0.147469 दक्षिणी तरफ प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसका नक्शा परिष्ट-क व खसरा नंबर 533 रकबा 2.24 है. में से 0.323749 में से उत्तरी तरफ खसरा नंबर 481 बुड़सु रोड़ पर व पश्चिमी तरफ खसरा नंबर 532 लगते ही सड़क पर रकबा भूमि 0.323749 प्रतिवादी सं. 4 की भूमि आई हुई है। जिसका नक्शा परिष्टि-ख है शेष भूमि वादी सं. 1 की आई हुई है। ख.नं. 620 रकबा 1.74 है. भूमि में से रकबा भूमि 0.86207 है. भूमि खसरा नंबर 562 पर ग्रेवल सड़क पर लगते हुए उत्तरी दिशा पर वादी सं. 2 का कब्जा चला आ रहा है उसके लगते ही पीछे रकबा भूमि 0.4312 है. प्रतिवादी सं. 4 की भूमि आई हुई है तथा उसके पश्चात लगते ही दक्षिणी तरफ रकबा भूमि 0.44673 वादी सं. 1 की भूमि आई हुई है तथा जिसका नक्शा परिशिष्ट-ग इस वाद पत्र के साथ लगा है उसी अनुसार भूविभाजन कराकर सेपरेट होल्डिंग कायम करवाना चाहते हैं। उपरोक्त वर्णित सारणी के अनुसार भू-विभाजन कराकर सेपरेट होल्डिंग कायम करवाना चाहते हैं। ताकि भूविभाजन को लेकर भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो इसलिए यह भूविभाजन का वाद लाया जाना आवश्यक हुआ। बिनाय दावा हाल ही में प्रतिवादीगण को भूविभाजन बाबत कहा तो दिन तो आवश्वासन देता रहा अब स्पष्ट इंकार कर देने पर आज यह वाद बमुकाम ग्राम जसराना पटवार हल्का रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामन सिटी में प्रेषित हुआ।



*[Signature]*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 कुचामन सिटी (उडवाना कुचामन)

इस्तदुआ वादी :-


ग्राम जसराणा पटवार हल्का रूपपुरा-टोरडा तहसील कुचामन सिटी सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 711/616 कुल रकबा 0.04 है. व खसरा नंबर 609 रकबा 0.63 है. खसरा नंबर 614 रकबा 0.02 है. कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.65 है. खसरा नंबर 613 रकबा 0.30 है. खसरा नंबर 615 रकबा 0.03 है. खसरा नंबर 725/616 रकबा 0.45 है. कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.78 है. व खसरा नंबर 461 रकबा 0.63 है. खसरा नंबर 533 रकबा 2.24 है. ख.नं. 617 रकबा 0.23 है. ख. नं. 619 रकबा 0.02 है. ख.नं. 620 रकबा 1.74 है. कुल खसरा 5 कुल रकबा 4.86 है. भूमि में वाद पत्र के पेरा सं. 3 में वर्णित सारणी के अनुसार व खसरा नंबर 725/616 में वाद पत्र में संलग्न नक्शा परिशिष्ट-क व खसरा नंबर 533 में वाद पत्र में संलग्न नक्शा परिशिष्ट-ख व खसरा नंबर 620 में वाद पत्र में संलग्न नक्शा परिशिष्ट-ग के अनुसार भू विभाजन जाकर सेपरेट होल्डिंग कायम किया जाकर नक्शे में तरमीम किया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामन सिटी को प्रदान करावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसुंदर चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया एवं राजीनामा पेश कर कथन किया है कि ग्राम जसराणा पटवार हल्का रूपपुरा-टोरडा तहसील कुचामन सिटी सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 711/616 कुल रकबा 0.04 है. व खसरा नंबर 609 रकबा 0.63 है. खसरा नंबर 614 रकबा 0.02 है. कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.65 है. खसरा नंबर 613 रकबा 0.30 है. खसरा नंबर 615 रकबा 0.03 है. खसरा नंबर 725/616 रकबा 0.45 है. कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.78 है. व खसरा नंबर 461 रकबा 0.63 है. खसरा नंबर 533 रकबा 2.24 है. ख.नं. 617 रकबा 0.23 है. ख.नं. 619 रकबा 0.02 है. ख.नं. 620 रकबा 1.74 है. कुल खसरा 5 कुल रकबा 4.86 है. भूमि हम वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित वाद पत्र हम वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है उक्त वाद को हम जरिये राजीनामों से निस्तारीत करवाना चाहते हैं। वाद पत्र के पैरा सं. 3 में जो सारणी दर्शायी गई है वह सही एवं सत्य है। हम वादीगण व प्रतिवादीगण का वर्णित सारणी अनुसार ही कब्जा अधिकार चला आ रहा है तथा उसी अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त वाद पत्र के पेरा सं. 3 में वर्णित सारणी के अनुसार ही हम वादीगण व प्रतिवादीगण का भूविभाजन किया जाकर सेपरेट होल्डिंग कायम किया जाने का आदेश श्रीमान तहसीलदार साहब कुचामन सिटी को प्रदान करावें। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र के पेरा सं. 3 में दर्शायेनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का राजीनामा तस्दीक कर वाद पत्र डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

ग्राम जसराणा पटवार हल्का रूपपुरा-टोरडा तहसील कुचामन सिटी सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 711/616 कुल रकबा 0.04 है. व खसरा नंबर 609 रकबा 0.63 है. खसरा नंबर 614 रकबा 0.02 है. कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.65 है. खसरा नंबर 613 रकबा 0.30 है. खसरा नंबर 615 रकबा 0.03 है. खसरा नंबर 725/616 रकबा 0.45 है. कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.78 है. व खसरा नंबर 461 रकबा 0.63 है. खसरा नंबर 533 रकबा 2.24 है. ख.नं. 617 रकबा 0.23 है. ख. नं. 619 रकबा 0.02 है. ख.नं. 620 रकबा 1.74 है. कुल खसरा 5 कुल रकबा 4.86 है. भूमि में भूविभाजन किया जाना व राजीनामा के आधार पर सेपरेट होल्डिंग कायम किया जाकर भू विभाजन



  
अपेक्षक अधिकारी  
कृषि विभाग सिटी (टोरडा तहसील कुचामन)

- 4 - वाद सं :-120/2025 नारायणराम बनाम तीजू देवी वगैरह  
कर नक्शे में तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होने से वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नलिखित  
प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है :-

-: आदेश :-

वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम जसराणा पटवार हल्का रूपपुरा की सरहद में  
स्थित निम्नानुसार खसरा नम्बर की कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा  
अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	खाता सं.	खसरा नं	रकबा है.	में से रकबा	कब्जा खातेदार	
1.	261	711/616	0.04	0.04	संपूर्ण प्रतिवादी सं. 1 ता 3	
2.	76	609, 614	0.65	0.65	संपूर्ण प्रतिवादी सं. 1 ता 3	
3.	260	613, 615	0.33	0.33	संपूर्ण प्रतिवादी सं. 1 ता 3	
		725/616	0.45	0.147469	संपूर्ण प्रतिवादी सं. 1 ता 3	
				0.302531	संपूर्ण वादी सं. 2	
4.	75	461	0.63	0.63	संपूर्ण वादी सं. 2	
		619	0.02	0.02	संपूर्ण वादी सं. 2	
		533	2.24	0.323749	0.323749	प्रतिवादी सं. 4
				0.323749	0.323749	संपूर्ण प्रतिवादी सं. 1 ता 3
				1.592502	1.592502	वादी सं. 1
		620	1.74	0.44673	0.44673	वादी सं. 1
				0.4312	0.4312	प्रतिवादी सं. 4
617	0.23	0.23	0.86207	वादी सं. 2		
			0.23	शामलाती समस्त खातेदार		

अंतिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। राजीनामा के संलग्न नजरी  
नक्शे परिशिष्ट-क, परिशिष्ट-ख, परिशिष्ट-ग निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। बंटवारा पर देय स्टाम्प  
ड्यूटी शुल्क प्रस्तुत होने पर तहसीलदार कुचामनसिटी को पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/06/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुनील कुमार-I)  
जिलाधिकारी  
कुचामनसिटी (जिला जलंधर)

- 5 - वाद सं :-120/2025 नारायणराम बनाम तीजू देवी वगैरह  
डिक्री मुकदमा इबोदाई  
(ओ.20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला-डीडवाना-कुचामन (राज.)

बईजलास :- श्री सुनील कुमार-I, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 120/2025 GCMS 2025/231

वादी :-

1. नारायणराम पुत्र गीगाराम
2. मंगीलाल दत्तक पुत्र जालूराम  
समस्त जाति जाट निवासियान जसराना तहसील कुचामन सिटी

प्रतिवादीगण:-


1. तीजू देवी पत्नी नानूराम
2. संजू देवी पुत्री नानूराम
3. मंजू देवी पुत्री नानूराम
4. दानाराम पुत्र गीगाराम प्रतिवादी सं. 1 ता 4 जाति जाट निवासियान जसराना तहसील कुचामन सिटी
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा इस्तकरार हक भूविभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री भीकमचंद अधिवक्ता हाजिरी श्री राजेश गुर्जर मिनजानिब मुदई रू-बरू श्री श्री श्यामसुंदर चौधरी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम जसराना पटवार हल्का रूपपुरा की सरहद में स्थित निम्नानुसार खसरा नम्बर की कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क.सं.	खाता सं.	खसरा नं	रकबा है.	में से रकबा	कब्जा खातेदार
1.	261	711/616	0.04	0.04	संपूर्ण प्रतिवादी सं. 1 ता 3
2.	76	609, 614	0.65	0.65	संपूर्ण प्रतिवादी सं. 1 ता 3
3.	260	613, 615	0.33	0.33	संपूर्ण प्रतिवादी सं. 1 ता 3
		725/616	0.45	0.147469	संपूर्ण प्रतिवादी सं. 1 ता 3
				0.302531	संपूर्ण वादी सं. 2
4.	75	461	0.63	0.63	संपूर्ण वादी सं. 2
		619	0.02	0.02	संपूर्ण वादी सं. 2
		533	2.24	0.323749	प्रतिवादी सं. 4
				0.323749	संपूर्ण प्रतिवादी सं. 1 ता 3



  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (डीडवाना, कुचामन)

620	1.74	1.592502	वादी सं. 1
		0.44673	वादी सं. 1
		0.4312	प्रतिवादी सं. 4
		0.86207	वादी सं. 2
617	0.23	0.23	शामलाती समस्त खातेदार

अंतिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शे परिशिष्ट-क, परिशिष्ट-ख, परिशिष्ट-ग निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी शुल्क प्रस्तुत होने पर तहसीलदार कुचामनसिटी को पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निज ..... मुबलिंग ..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 06 सन् 2023 को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत

ओहदा

कुचामन सिटी (ओहदा नुबलिंग)

मुदई	रुपयें	पैसे	मुदायलय	रुपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।



(सुनील कुमार I, RAS)

उपखण्ड अधिकारी

कुचामन सिटी (ओहदा नुबलिंग)